रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 137] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 29 1990/चैत्र 8 1912
No. 137] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 29, 1990/CHAITRA 8, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मन्त्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1990

सा. का. नि. 415 (अ):—राष्ट्रपति द्वारा, जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"सं. आ. 144"

संविधान (राजस्व का वितरण) सं. 2 आदेश, 1990

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त आयोग की सिफ़ारिशों पर विचार करने के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:—

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (राजस्व का वितरण) सं. 2 आदेश, 1990 है ।

2. साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इस आदेश के निर्वचन को उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

3. (1) अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) के उपबन्धों के अनुसार 1 अप्रैल, 1989 को आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, नीचे विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में, उसके सामने उस वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट राशियां, जो राज्यों में प्राकृतिक विपत्तियों की बाबत अनुतोष उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार के उपाय धन का अंश हैं भारत की संचित निधि पर भारित होंगी:—

राज्य	(रुपए लाखों में)
आन्ध्र प्रदेश	2162.50
अरुणाचल प्रदेश	12.50
असम	650.00
बिहार	55.87
हिमाचल प्रदेश	162.50
जम्मू-कश्मीर	122.50

राज्य	(रुपए लाखों में)
कर्नाटक	300.00
केरल	450.00
मध्य प्रदेश	300.00
महाराष्ट्र	650.00
मणिपुर	25.00
मिजोरम	25.00
उड़ीसा	2263.51
पंजाब	537.50
राजस्थान	837.50
सिक्किम	25.00
तमिलनाडु	775.00
त्रिपुरा	38.00
उत्तर प्रदेश	2028.08

परन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट राशियां 1 अप्रैल, 1989 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, राज्यों में प्राकृतिक विपत्तियों की बाबत अनुतोष उपलब्ध कराने के लिए उपायों पर व्यय की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि उस वर्ष के लेखाओं में प्रकट किए गए ऐसे अनुतोष संबंधी उपायों पर किया गया वास्तविक व्यय, ऊपर विनिर्दिष्ट राशियों से कम है तो अतिशेष को अगले वर्ष में ले जाया जाएगा और उसका उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा ।

(2) 1 अप्रैल, 1989 को प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में, उपरा (1) के अधीन किसी राज्य को संदेय कोई राशि या राशियां, संविधान (राजस्व का वितरण) 1989 का आदेश, संख्या 2 के पैरा 3 के उप पैरा (1) के अनुसरण में उस वित्तीय वर्ष में उस राज्य को संदेय राशि या राशियों के अतिरिक्त होगी या होंगी ।

आर. वेंकटरामन,
राष्ट्रपति

[फा. सं. 19(2)/90 एल I]
वी. एस. रमा देवी, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 1990

G.S.R. 415(E).—The following Order made by the President is published for general information:—

"C.O. 144)"

THE CONSTITUTION (DISTRIBUTION OF REVENUES) No. 2 ORDER, 1990

In exercise of the powers conferred by article 275 of the Constitution, the President, after having considered the recommendations of the Finance Commission, hereby makes the following Order, namely:—

1. This Order may be called the Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 1990.

2. The General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall apply for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of a Central Act.

3. (1) In accordance with the provisions of clause (1) of article 275, there shall be charged on the Consolidated Fund of India, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1989 as grants-in-aid of the revenues of each of the States specified below, the sums specified against it as representing the share of the Central Government of the margin money towards affording relief in connection with natural calamities in the States :

State	(Rs. in lakhs)
Andhra Pradesh	2162.50
Arunachal Pradesh	12.50
Assam	650.00
Bihar	55.87
Himachal Pradesh	162.50
Jammu and Kashmir	122.50
Karnataka	300.00
Kerala	450.00
Madhya Pradesh	300.00
Maharashtra	650.00
Manipur	25.00
Mizoram	25.00
Orissa	2263.51
Punjab	537.50
Rajasthan	837.50
Sikkim	25.00
Tamil Nadu	775.00
Tripura	38.00
Uttar Pradesh	2028.08

Provided that the sums specified above shall be expended in the financial year commencing on the 1st day of April, 1989, on measures for affording relief in connection with natural calamities in the States:

Provided further that if the actual expenditure on relief measures as revealed in the accounts of that year is lower than the sums specified above, the balance shall be carried forward to the next year and utilised for the same purpose.

(2) Any sum or sums payable under sub-paragraph (1) to any State, in the financial year commencing on the 1st day of April, 1989, shall be in addition to the sum or sums payable to that State in that financial year in pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Constitution (Distribution of Revenues) No. 2 Order, 1989.

R. VENKATARAMAN,
President

[F.19(2)/90-LT]

V.S. RAMA DEVI, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1990